



कार्यालय रा. नि. वृत्त

तहसील

जिला दतिया (म.प्र.)

प्रति

श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय

सर्कल

तहसील

के मौजा

स्थित भूमि सर्वे क्रमांक

विषय:- आवेदक

मे सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ:- श्रीमान जी के न्यायालय का

क्रमांक	बिन्दु जिनकी जानकारी देना है।	जानकारी/अभिमत/प्रस्ताव
✓ 1	आवेदित भूमि आवेदक को किस वैधानिक स्वत्व के आधार पर किस वर्ष में प्राप्त हुई है। तदसंबंध में स्पष्ट जानकारी दी जावे।	
2	यदि भूमि आवेदक को पट्टे पर प्राप्त हुई है तो उसका प्रकरण क्रमांक, आदेश दिनांक एवं पट्टा जारी करने वाले अधिकारी का नाम अंकित किया जावे।	
3	उक्त पट्टे से प्राप्त भूमि के प्रकरण के विरुद्ध कोई अपील/निगरानी तो नहीं हुई है अथवा वर्तमान में संचित तो नहीं है।	
4	यदि पट्टे के प्रकरण के विरुद्ध कोई अपील या निगरानी प्रस्तुत हुई है तो उसके विरुद्ध पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण अंकित किया जावे।	
5	पट्टे पर दी गई भूमि की वर्तमान स्थिति।	
6	पट्टा प्रदाय किए जाने के उपरांत पटवारी राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज न होने का कारण। इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही हुई।	
7	राजस्व अभिलेख में त्रुटि निर्मित होने के क्या कारण एवं परिसतिथियाँ रही हैं। के संबंध में स्पष्ट जानकारी दी जावे।	
8	प्रस्तावित त्रुटि सुधार किए जाने पर अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के स्वत्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ता है, तदसम्बद्ध में स्पष्ट जानकारी दी जावे।	
9	अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के स्वत्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसका समाधान क्या है। तदसम्बद्ध में स्पष्ट जानकारी दी जावे।	

10	यदि आवेदक के स्वत्व की भूमि अनावेदक के नाम आई है, तो कब एवं कितने वर्ष पूर्व आई तथा किसके आदेश से आई। तदसम्बद्ध में स्पष्ट जानकारी दी जावे।	
11	इतने वर्षों तक अभिलेख त्रुटि के संबंध में आवेदक को जानकारी क्यों नहीं थी। तदसम्बद्ध में स्पष्ट जानकारी दी जावे।	
12	उक्त सुधार से पूर्व जिस राजस्व अभिलेख का सुधार किया जा रहा है, उसका मिलान मिसल बन्दोबष्ट से किया गया है अथवा नहीं।	
13	प्रस्तावित संशोधन में कोई शासकीय भूमि प्रभावित हो रही अथवा नहीं।	
14	प्रस्तावित संशोधन में कोई शासन हिट है अथवा नहीं की स्पष्ट टीप।	
15	आवेदित त्रुटि/विषयगत का सुधार किया जाना संभव है अथवा नहीं। उसके संबंध में स्पष्ट कारण दिया जावे।	
16	आवेदित त्रुटि/विषयगत की कालावधि का स्पष्ट उल्लेख।	
17	प्रकरण में आदेश पारित किए जाने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जावे की स्टाम्प ड्यूटी की किसी भी प्रकार की हानी ना हो।	
18	शासकीय भूमि का निजी भूमि में संशोधन ना हो। इस हेतु बन्दोबष्ट के अभिलेखों से मिलान किया जाकर पुष्टि की जावे।	
19	भूमि की वर्तमान स्थिति।	
20	शासकीय भूमि का निजी भूमि में परिवर्तन होने एवं विक्रय पत्र के अनुसार संशोधन होने पर या किसी भी अन्य कारण से खसरा सुधार आवेदन पर वर्ष 1959 के पहले की भूमि की स्थिति की जानकारी स्पष्ट अभिमत के साथ प्रस्तुत करें।	

21	नक्शा संशोधन एवं राजस्व अभिलेख संशोधन होने पर प्रभावित पक्षकार अर्थात् संशोधित सर्वे नंबरान से लगे कृषक को पक्षकर बनाया गया अथवा नहीं और उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया है अथवा नहीं।	
22	त्रुटि/विशंगति के संबंध में अभिमत सहित अनुशंसा।	
23	मौके पर स्वतः स्थल निरीक्षण कर कब्जे की स्थिति और कोर्ट संबंधी दस्तावेज सहित अभिमत एवं अनुशंसा।	
24	खसरे में क्या सुधार किया जाना है। खसरा वर्ष आराजी नंबर रकवा सहित अभिमत।	
25	खसरे के किस कॉलम नंबर में क्या त्रुटि हुई है तथा किस कॉलम नंबर में क्या सुधार किया जाना है। उक्त सुधार किए जाने से शासन का हित तो प्रभावित नहीं होता है।	
26	खसरे की वर्तमान प्रविष्टि तथा सुधार के पश्चात की प्रविष्टि स्पष्ट करें।	